न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 69/2015(जी.सी.एम.एस. 2015/00183)

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. दलीप सिंह पुत्र रल्ला सिंह जाति कम्बोसिख निवासी 3 एक्स तहसील श्रीकरणपुर(मृतक) 1/1.हरदीप सिंह पुत्र दलीप सिंह जाति कम्बोसिख निवासी 3 एक्स तहसील श्रीकरणपुर। 1/2.अवतार सिंह पुत्र दलीप सिंह जाति कम्बोसिख निवासी 3 एक्स तहसील श्रीकरणपुर। 1/3.हरजीत सिंह पुत्र दलीप सिंह जाति कम्बोसिख निवासी 3 एक्स तहसील श्रीकरणपुर। 1/4.मनजिन्द्र सिंह पुत्र दलीप सिंह जाति कम्बोसिख निवासी 3 एक्स तहसील श्रीकरणपुर। 1/5.हरनेक सिंह पुत्र दलीप सिंह जाति कम्बोसिख निवासी 3 एक्स तहसील श्रीकरणपुर। 1/6.मुखविन्द्र सिंह पुत्र हरजीत सिंह दलीप सिंह जाति कम्बोसिख निवासी 3 एक्स तहसील श्रीकरणपुर। 2. चतर सिंह पुत्र प्रीतम सिंह जाति कम्बोसिख निवासी 3 एक्स तहसील श्रीकरणपुर।		1. दर्शन सिंह पुत्र बूटा सिंह जाति जटसिख निवासी 3 एक्स तहसील श्रीकरणपुर। 2. प्रमान सिंह पुत्र दर्शन सिंह जाति जटसिख निवासी 3 एक्स तहसील श्रीकरणपुर। 3. भूपेन्द्र सिंह पुत्र दर्शन सिंह जाति जटसिख निवासी 3 एक्स तहसील श्रीकरणपुर। 4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

तारीख रजू:– 28.10.2015

उपस्थित:1.श्री युधिष्ठर सिंह सैनी अधिवक्ता वादीगण
2.श्री अशोक कुमार जोशी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 3

दिनांक: 21.06.2024

—–निर्णय—–

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम 3 एक्स की जमाबन्दी सम्वत 2032 ता 2035 के खाता संख्या 14 के मुरब्बा नम्बर 54 के किला नम्बर 1 के 18 बिस्वा, किला नम्बर 10, 11 सालम-सालम, किला नम्बर 17/1 के 5 बिस्वा, किला नम्बर 20 ता 22 सालम-सालम, मुरब्बा नम्बर 66/28 के किला नम्बर 1 के 2 बिस्वा खाला कुल 6 बीघा 5 बिस्वा नहरी मय गैरमुमकिन खाला तथा इसी चक के खाता संख्या 15 के मुरब्बा नम्बर 47 के किला नम्बर 1 ता 25 की कुल 25 बीघा नहरी भूमि में से वादी संख्या 1 के नाम 12 बीघा 10 बिस्वा, कुल 18 बीघा 15 बिस्वा भूमि वादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वर्तमान में वादी संख्या 1 द्वारा मुरब्बा नम्बर 54 के 6 बीघा 5 बिस्वा भूमि का तबादलानामा वादी संख्या 2 के साथ कर लिया है। जिसका इन्तकाल वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज हो चुका है। इस प्रकार वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2069 ता 2072 के अनुसार वादी संख्या 1 खाता संख्या 43 के मुरब्बा नम्बर 47 में 3.163 हैक्टेयर भूमि का खातेदार दर्ज है। तथा इसी चक के खाता संख्या 19 के मुरब्बा नम्बर 54 के किला नम्बर 10, 11, 20 ता 22 प्रत्येक सालम-सालम कुल 1.265 हैक्टेयर तथा खाता संख्या 20 के मुरब्बा नम्बर 54 के किला नम्बर 1 के 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 17/2 की 0.152 हैक्टेयर, मुरब्बा नम्बर 66/28 के किला नम्बर 0 की 0.025 हैक्टेयर खाला कुल 0.465 हैक्टेयर नहरी मय खाला वादी संख्या 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। चक 3 एक्स की जमाबन्दी सम्वत 2032 ता 2035 के मुरब्बा नम्बर 55 के किला नम्बर 5 ता 7 सालम-सालम, किला नम्बर 11/2 के 10 बिस्वा, किला नम्बर 14 ता 17, 20, 21, 24, 25 प्रत्येक सालम-सालम कुल 12 बीघा 10 बिस्वा भूमि हरी सिंह पुत्र गरीब सिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी। हरी सिंह ने अपने जीवनकाल में दिनांक 01.12.1978 को एक प्रार्थना पत्र श्रीमान् अतिरिक्त जिलाधीश श्रीगंगानगर के समक्ष मजबेआम चक 26 एच में इस आशय का पेश किया कि मुरब्बा नम्बर 55 को कोई रास्ता नहीं है। इसलिए मुरब्बा नम्बर 47 व 54 के प्रत्येक के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 में से रास्ता दिया जावे। उक्त प्रार्थना पत्र हरी

सिंह व वादी संख्या 1 दलीप सिंह को सुनते हुये दिनांक 09.12.1978 को यह आदेश पारित किया गया कि प्रार्थी हरी सिंह व अप्रार्थी दलीप सिंह को सुना गया, जो रास्ता के बदले में अन्य भूमि लेकर रास्ता देने के लिए तैयार है, इस प्रकार हरी सिंह को मुरब्बा नम्बर 55 में जाने के लिए वादीगण के मुरब्बा नम्बर 47 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 व मुरब्बा नम्बर 54 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 में से रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त रास्ता के बदले में हरी सिंह द्वारा दी गई चक 3 एक्स के मुरब्बा नम्बर 55 के किला नम्बर 5 के 10 बिस्वा भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद वादी दलीप सिंह के नाम किये जाने का आदेश दिया जाता है। उक्त आदेश की पालना तहसीलदार व पटवारी हल्का के द्वारा आज दिनांक तक नहीं की गई। आदेश दिनांक 09.12.1978 से लेकर आज तक वादीगण के मुरब्बा नम्बर 54 व 47 के प्रत्येक किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 में रास्ता शांतिपूर्वक, मौका पर आज भी चालू है और मुरब्बा नम्बर 55 के किला नम्बर 5 के 10 बिस्वा भूमि पर आज भी शांतिपूर्वक काबिज काश्त चले आ रहे है। हरी सिंह द्वारा मुरब्बा नम्बर 55 के 12 बीघा 10 बिस्वा भूमि की वसीयत अपने जीवनकाल में अपनी पत्नी जीत कौर के नाम कर दी थी। जिसका वसीयतन इन्तकाल जीत कौर के नाम से दर्ज हो चुका है। जीत कौर ने अपने जीवनकाल में अपने उक्त रकबा की वसीयत अपने तीनों पुत्रों करनैल सिंह, तरसेम सिंह, काला सिंह के नाम कर दी थी। उक्त वसीयत का इन्तकाल करनैल सिंह आदि के नाम दर्ज हो चुका है। करनैल सिंह, तरसेम सिंह, काला सिंह द्वारा उक्त रकबा का बेचान प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का कर दिया है। इस प्रकार उक्त मुरब्बा नम्बर 55 के 12 बीघा 10 बिस्वा भूमि का इन्तकाल प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज हो चुका है। श्रीमान् अतिरिक्त जिलाधीश महोदय श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 09.12.1978 की पालना सहवन से रह गई है। जबकि उक्त आदेश आज भी प्रभावी है और इस आदेश के विरूद्ध किसी भी पक्षकार के द्वारा कोई भी अपील या निगरानी पेश नहीं की गई है। इसलिए उक्त आदेश दिनांक 09.12.1978 अंतिम हो चुका है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 द्वारा मुरब्बा नम्बर 55 के 12 बीघा 10 बिस्वा भूमि का इंतकाल अपने नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाते हुए वादीगण के कब्जा काश्त के मुरब्बा नम्बर 55 के किला नम्बर 5 के 10 बिस्वा भूमि पर कब्जा करने की कोशिश करने लगे तो वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को कहा कि मुरब्बा नम्बर 55 के किला नम्बर 5 के 10 बिस्वा की भूमि हमें मुरब्बा नम्बर 47 व 54 प्रत्येक के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 में दिये गये रास्ता की एवज में प्राप्त हुई है। जिसका इन्तकाल हमारे नाम दर्ज होने के आदेश दिनांक 09.12.1978 को हो चुके है। इस पर वादीगण पटवारी हल्का से मिले और जमाबन्दी की नकले प्राप्त की तो वादीगण को पता चला कि आदेश दिनांक 09.12.1978 की पालना नहीं हुई है। इसलिए मुरब्बा नम्बर 55 के किला नम्बर 5 के 10 बिस्वा भूमि का इन्तकाल प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज हो गया है, को खारिज करवाकर उक्त रकबा को अपने नाम जमाबन्दी में दर्ज करवाकर खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवा पाने के अधिकारी है। यही वाद कारण है। वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार, पूर्ण कोर्ट फीस अन्दर मियाद है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादपत्र वादी निम्न प्रकार से डिक्री सादर फरमाया जावे :- कि श्रीमान् अतिरिक्त जिलाधीश श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 09.12.1978 की पालना में राजस्व ग्राम 3 एक्स के मुरब्बा नम्बर 47 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 व मुरब्बा नम्बर 54 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 प्रत्येक में से 1-1 बिस्वा भूमि को गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किया जाकर मुरब्बा नम्बर 55 के किला नम्बर 5 के 10 बिस्वा भूमि का खातेदार वादी संख्या 1 को घोषित किये जाने आदेश दिए जावे।

ाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया या। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक कुमार जोशी उपस्थित आए। तिवादी संख्या 1 ता 3 की ओर से जवाबदावा पेश किया। जवाबदावा के अनुसार हम तिवादीगण द्वारा अपने नाम तमाम रकबा को जरिये बैयनामा खरीद किया गया तथा खरीद के ज से ही तमाम रकबा पर हमारा निरन्तर एवं शांतिपर्वूक कब्जा काश्त चला आ रहा है। ादीगण को उक्त भूमि पर किसी किस्म का कोई अधिकार हासिल नहीं है, ना ही वे न्यायालय इसके बाबत कोई अनुतोष प्राप्त कर पाने के अधिकारी है। वादीगण के द्वारा हम तिवादीगण के नाम जरिये बैयनामा दर्ज किये गये नामान्तरण को निरस्त करवा कर अपने नाम

धिकारी (राजस्व)

खातेदारी घोषणा हेतु वाद पेश किया गया है, जो कि पंजीकृत नामान्तरण दस्तावेज के आधार पर दर्ज किया गया होने से जब तक उक्त पंजीकृत दस्तावेज को रद्द नहीं करवाया जाता, वादीगण को इसके बाबत कोई अनुतोष नहीं दिया जा सकता तथा पंजीकृत दस्तावेज के बाबत कोई भी आदेश पारित करने का अधिकार केवल दीवानी न्यायालय को ही प्राप्त है, राजस्व न्यायालय को प्राप्त नहीं है। अतः जवाब दावा पेश कर अर्ज है कि वादपत्र वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण खारिज फरमाया जावे। वादी अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सीपीसी पेश किया। जो बाद सुनवाई स्वीकार किया गया। संशोधित शीर्षक शामिल रिकार्ड किया गया। जवाब स्टेट पेश नहीं करने पर बन्द किया गया।

हमने प्रकरण मे निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किये:-

(i)आया कि क्या वादीगण चक 3 एक्स के मुरब्बा नम्बर 55 के किला नम्बर 5 के 10 बिग्घा का इन्तकाल प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज हुआ है, को निरस्त करवाकर यह भूमि बराबर-बराबर अपने नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है?

-जिम्मे वादीगण-

(ii)आया कि चक 3 एक्स के मुरब्बा नम्बर 47 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 तथा मुरब्बा नम्बर 54 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 प्रत्येक में से 1-1 बिग्घा गम्ना काटकर इस रकबा को राजस्व रिकॉर्ड में गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिए जावे?

-जिम्मे वादीगण-

(iii)आया कि क्या वादपत्र मियाद बाद पेश होने के कारण खारिज योग्य है?

-जिम्मे प्रतिवादी संख्या 1 ता 3-

(iv)आया कि क्या वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में नहीं है?

-जिम्मे प्रतिवादी संख्या 1 ता 3-

(v) अनुतोष।

4. वकील वादीगण ने अपने वादपत्र के समर्थन में साक्ष्य प्रदर्श-1 चक 3 एक्स की जमाबन्दी सम्वत 2032 ता 2035 के खाता संख्या 17/18 की प्रति, प्रदर्श-2 चक 3 एक्स की जमाबन्दी सम्वत 2036 ता 2040 के खाता संख्या 14/17 की प्रति, प्रदर्श-3 चक 3 एक्स की जमाबन्दी सम्वत 2069 ता 2072 के खाता संख्या 19/20 की प्रति, प्रदर्श-4 चक 3 एक्स की जमाबन्दी सम्वत 2069 ता 2072 के खाता संख्या 43/41 की प्रति, प्रदर्श-5 चक 3 एक्स के नामान्तरण संख्या 234 दिनांक 15.01.1996 की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श-6 रास्ता मंजूरी बाबत प्रार्थना पत्र की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श-7 अतिरिक्त जिलाधीश श्रीगंगानगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.01.1974 की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श-8 चक 3 एक्स की जमाबन्दी सम्वत 2032 ता 2035 के खाता संख्या 77 की प्रति, प्रदर्श-9 चक 3 एक्स की जमाबन्दी सम्वत 2036 ता 2039 के खाता संख्या 58/77 की प्रति, प्रदर्श-10 चक 3 एक्स की जमाबन्दी सम्वत 2040 ता 2043 के खाता संख्या 20/68 की प्रति, प्रदर्श-11 चक 3 एक्स की जमाबन्दी सम्वत 2053 ता 2056 के खाता संख्या 20/20 की प्रति, प्रदर्श-12 चक 3 एक्स की जमाबन्दी सम्वत 2057 ता 2060 के खाता संख्या 11/20 की प्रति, प्रदर्श-13 चक 3 एक्स की जमाबन्दी सम्वत 2061 ता 2064 के खाता संख्या 62/11 की प्रति, प्रदर्श-14 चक 3 एक्स की जमाबन्दी सम्वत 2065 ता 2068 के खाता संख्या 79/62 की प्रति, प्रदर्श-15 चक 3 एक्स की जमाबन्दी सम्वत 2032 ता 2035 के खाता संख्या 17/18 की प्रति, प्रदर्श-16 चक 3 एक्स की जमाबन्दी सम्वत 2069 ता 2072 के खाता संख्या 98/79 की प्रति, प्रदर्शित करवाए एवं स्वयं हरदेव सिंह का साक्ष्य शपथपत्र, पेश किया। जो शामिल पत्रावली है। वकील प्रतिवादी के द्वारा जिरह की गई। ब्यान सामिल मिसल किए गए। वकील प्रतिवादी के द्वारा अपने जवाबदावा के समर्थन में प्रदर्श डी- 1 पंजीकृत बैयनामा बहक बंसत सिंह पुत्र दर्शन सिंह की प्रति, प्रदर्श डी-1ए पंजीकृत बैयनामा बहक बंसत सिंह पुत्र दर्शन सिंह की छायाप्रति, प्रदर्श डी- 2 पंजीकृत बैयनामा बहक भूपेन्द्र सिंह की प्रति, प्रदर्श डी-2ए पंजीकृत बैयनामा बहक भूपेन्द्र सिंह की

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

[illegible]

छायाप्रति, प्रदर्श डी- 3 पंजीकृत बेयनामा वहक सुदर्शन सिंह की प्रति, प्रदर्श डी-4 पंजीकृत बेयनामा वहक सुदर्शन सिंह की छायाप्रति प्रदर्शित करवाए एवं प्रतिवादी स्वयं दर्शन सिंह का साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया। जो सामिल मिसल है। वकील वादी के द्वारा जिरह की गई। ध्यान सामिल मिसल किए गए।

5. हमने उभयपक्षकारन की बहस सुनी तथा उस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का भली-भांति अवलोकन करते हुए संगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। हम प्रकरण का तनकी वार पृथक-पृथक विवेचन करते हुए निर्णय करना आवश्यक समझते है जो निम्नानुसार हैः-

तनकी संख्या (i) आया कि क्या वादीगण चक 3 एक्स के मुरब्बा नम्बर 55 के किला नम्बर 5 के 10 बिस्वा का इन्तकाल प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज हुआ है, को निरस्त करवाकर यह भूमि बराबर-बराबर अपने नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी वादीगण की थी। वादीगण के द्वारा श्रीमान् अतिरिक्त जिलाधीश श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 09.12.1978 की पालना में राजस्व ग्राम 3 एक्स के मुरब्बा नम्बर 47 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 व मुरब्बा नम्बर 54 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 प्रत्येक में से 1-1 बिस्वा भूमि को गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किया जाकर मुरब्बा नम्बर 55 के किला नम्बर 5 के 10 बिस्वा भूमि का खातेदार घोषित किए जाने बाबत निवेदन किया है। प्रदर्श-6 की प्रमाणित प्रति अनुसार प्रार्थीगण हरि सिंह वल्द गरीब सिंह आदि के द्वारा श्रीमान् अतिरिक्त जिलाधीश(सतर्कता) महोदय श्रीगंगानगर के समक्ष चक 3 एक्स के मुरब्बा नम्बर 47 व 54 प्रत्येक के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 में से रास्ता मंजूरी बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रदर्श-7 की प्रमाणित प्रति अनुसार राजस्व अभियान कैम्प-धनूर में श्रीमान् अतिरिक्त जिलाधीश(सतर्कता) महोदय श्रीगंगानगर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.12.1978 में चक 3 एक्स के मुरब्बा नम्बर 47 व 54 प्रत्येक के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 में से 1-1 बिस्वा भूमि में रास्ता स्वीकृत किया जाकर हरी सिंह रास्ता की भूमि के बदले दर्लाप सिंह को मुरब्बा नम्बर 55 के किला नम्बर 5 के 10 बिस्वा भूमि देगा। जिसकी पालना के लिए प्रतिलिपि तहसीलदार श्रीकरणपुर व पटवारी हल्का को प्रेषित की गई है। परन्तु तहसीलदार श्रीकरणपुर व पटवारी हल्का द्वारा उक्त आदेश की पालना में राजस्व रिकॉर्ड में अंकन नहीं किया गया। जिसके कारण आगामी जमाबन्दिया भी श्रीमान् अतिरिक्त जिलाधीश(सतर्कता) महोदय श्रीगंगानगर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.12.1978 के अंकन रहित वनती चली आ रही है। वर्तमान में मुरब्बा नम्बर 55 के किला नम्बर 5 की 10 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है व मुरब्बा नम्बर 47 व 54 प्रत्येक के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 की भूमि वादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। श्रीमान् अतिरिक्त जिलाधीश(सतर्कता) महोदय श्रीगंगानगर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.12.1978 की निगरानी या अपील प्रतिवादीगण के द्वारा किसी न्यायालय में नहीं की गई है। इसलिए उक्त आदेश दिनांक 09.12.1978 अस्तित्व में है। लिहाजा श्रीमान् अतिरिक्त जिलाधीश श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 09.12.1978 की पालना में वादीगण राजस्व ग्राम 3 एक्स के मुरब्बा नम्बर 47 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 व मुरब्बा नम्बर 54 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 प्रत्येक में से 1-1 बिस्वा भूमि को गैरमुमकिन रास्ता दर्ज करवाकर मुरब्बा नम्बर 55 के किला नम्बर 5 के 10 बिस्वा भूमि के खातेदार घोषित होने के अधिकारी है। अतः वादीगण इस तनकी को साबित करने में पूर्णतया सफल रहे है। यह तनकी बहक वादीगण निर्णीत की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

... चक 3 एक्स के मुरब्बा नम्बर 47 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 तथा मुरब्बा नम्बर 54 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 प्रत्येक में से 1-1 बिस्वा रास्ता काटकर इस रकबा को राजस्व रिकॉर्ड में गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिए जावे?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी वादीगण की थी। पूर्व निर्णीत तनकी संख्या 1 में इस तनकी का वर्णन किया जा चुका है। तनकी संख्या 1 बहक वादीगण निर्णीत की जा चुकी हैं। अतः यह तनकी भी बहक वादीगण निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या (iii) आया कि क्या वादपत्र मियाद बाद पेश होने के कारण खारिज योग्य है?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादीगण की थी। श्रीमान अतिरिक्त जिलाधीश (सतर्कता) महोदय श्रीगंगानगर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.12.1978 की निगरानी या अपील प्रतिवादीगण के द्वारा किसी न्यायालय में नहीं की गई है। इसलिए उक्त आदेश दिनांक 09.12.1978 अस्तित्व में है। वादीगण के द्वारा श्रीमान अतिरिक्त जिलाधीश (सतर्कता) महोदय श्रीगंगानगर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.12.1978 की पालना के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा 88 में वाद प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है और धारा 88 आरटीए में वाद प्रस्तुत करने की कोई समय सीमा नहीं है। लिहाजा वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को मियाद बाहर नहीं कहा जा सकता है। अतः यह तनकी विरूद्ध प्रतिवादीगण बहक वादीगण निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या (iv) आया कि क्या वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में नहीं है?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी वादीगण की थी। प्रतिवादीगण के द्वारा अपने जवाबदावा में कथन किए गए है कि वादीगण के द्वारा हम प्रतिवादीगण के नाम जरिये बैयनामा दर्ज किये गये नामान्तरण को निरस्त करवा कर अपने नाम खातेदारी घोषणा हेतु वाद पेश किया गया है, जो कि पंजीकृत नामान्तरण दस्तावेज के आधार पर दर्ज किया गया होने से जब तक उक्त पंजीकृत दस्तावेज को रद्द नहीं करवाया जाता, वादीगण को इसके बाबत कोई अनुतोष नहीं दिया जा सकता तथा पंजीकृत दस्तावेज के बाबत कोई भी आदेश पारित करने का अधिकार केवल दीवानी न्यायालय को ही प्राप्त है, राजस्व न्यायालय को प्राप्त नहीं है। इसलिए वादीगण का वाद क्षेत्राधिकार और श्रवणाधिकार के अभाव में काबिले खारिजी है।

उपर्युक्त तनकी के संबध में हमारा विनम्र अभिमत है कि वादीगण के द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए बाबत घोषणा पेश किया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद सुनने का अधिकार न्यायलय उपखण्ड अधिकारी राजस्व को है। वादीगण का वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है। अतः यह तनकी विरूद्ध प्रतिवादीगण बहक वादीगण निर्णीत की जाती है।

(iii) अनुतोष।

पूर्व निर्णीत तनकी संख्या 1, 2 बहक वादीगण व तनकी संख्या 3, 4 विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 निर्णीत की जा चुकी है। अतः वादी संख्या 1 के वारिसान को अनुतोष प्रदान करना हम विधिसंगत समझते है। लिहाजा यह तनकी इस कदर निर्णीत की जाती है।

-:क्रियात्मक आदेशः-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादीगण अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 3 एक्स, पटवार हल्का 2 एक्स, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर, के मुरब्बा नम्बर 47 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 व मुरब्बा नम्बर 54 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 प्रत्येक में से 1-1 बिस्वा भूमि को गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किए जाने व मुरब्बा नम्बर 55 के किला नम्बर 5 के 5 बिस्वा भूमि का खातेदार वादी संख्या 1/1 ता 1/6 को व मुरब्बा नम्बर 55 के किला

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

नम्बर 5 के 5 बिस्वा भूमि का खातेदार वादी संख्या 2 को घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तूर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 21.06.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)
दलीप सिंह आदि बनाम दर्शन सिंह आदि
धारा अन्तर्गत 88 आरटीए
मुकदमा नम्बर 69/2015
निर्णय दिनांक :- 21.06.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादीगण अधिवक्ता श्री युधिष्ठर सिंह सैनी, श्री रामदास सोलंकी व प्रतिवादी अधिवक्ता श्री अशोक कुमार जोशी उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादीगण अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर वादपत्र वादीगण अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 3 एक्स, पटवार हल्का 2 एक्स, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर, के मुरब्बा नम्बर 47 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 व मुरब्बा नम्बर 54 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 प्रत्येक में से 1-1 बिस्वा भूमि को गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किए जाने व मुरब्बा नम्बर 55 के किला नम्बर 5 के 5 बिस्वा भूमि का खातेदार वादी संख्या 1/1 ता 1/6 को व मुरब्बा नम्बर 55 के किला नम्बर 5 के 5 बिस्वा भूमि का खातेदार वादी संख्या 2 को घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तूर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 21.06.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

...दई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
...म्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
...म्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	02	00
...म्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
...ग	**04**	**00**	**योग**	**04**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

क्रमांकः रीडर/2024/ दिनांकः /06.2024

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर